कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1314091 दि0 04-12-2013
पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-1(T)/स0प0/आई0टी0सी0समीक्षा/13-14/ 1528 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: दिसम्बर 06, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)/ वि0अनु0शा0/आडिट
समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के पत्र संख्या-778 दिनांक 30-07-2013 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा आई0टी0सी0 के दावों के सत्यापन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये है ।

आई0टी0सी0 सत्यापन के लिए एन0आई0सी0 द्वारा माडयूल तैयार किया गया है, जो विभागीय वेबसाईट- http:// comtax.up.nic.in पर उपलब्ध है । इस वेवसाईट में दाहिनी तरफ स्थित Departmental servies के नीचे स्थित MIS Reports की लिंक पर क्लिक करने पर MIS Reports के Dropdown परिलक्षित होगें । इन Dropdown Menu में आफिसर्स ई-रिर्टन सेलेक्ट कर Enter करने पर Commercial Tax Officers Login Form में अपना Employee Id व Password भरने पर " VAT REPORTING SYSTEM " की Heading युक्त Webpage खुलेगा जिसमें सबसे ऊपर स्थित Menu Bar में उपलब्ध ITC Verification के लिंक को क्लिक करके 1.5 सीरियल नम्बर पर उपलब्ध टिनवाइज आनलाइन मैचिंग entry को क्लिक किया जायेगा । इसके पश्चात् कम्प्यूटर पर एनेक्जर-ए (परर्चेज डिटेल) व एनेक्जर-बी (सेल डिटेल) पर उपलब्ध लिंक फील्ड में टिन नम्बर, कर निर्धारण वर्ष, मासिक / त्रैमासिक । माह / त्रैमास अंकित किया जायेगा । इसे अंकित करते हुए सबमिट करने पर व्यापारी से सम्बन्धित बिलों की स्थिति तथा क्रेता / विक्रेता की जानकारी उपलब्ध हो जायेगी । इससे ई-रिटर्न के माध्यम से दाखिल रु0 एक लाख या अधिक के सम्व्यवहारों के सम्बन्ध में आई0टी0सी0 की मैचिंग का परिणाम ज्ञात किया जा सकता है ।

कृपया ई-रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों के आई0टी0सी0 दावों के सत्यापन के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारियों से वेबसाईट के माध्यम से भी सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करायें तथा गलत दावों के सम्बन्ध में तत्काल विधिक कार्यवाही सम्पन्न कराये । आपसे यह भी अपेक्षित है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जा रही इस प्रकार की कार्यवाही का अनुश्रवण अपने स्तर एवं सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के स्तर से करना / कराना सुनिश्चित करें ।

3.12.2013
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।